UPMZ010071082026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या - 187 सन् 2026

विनय जैन उर्फ किक्की जैन पुत्र विनोद जैन, निवासी मौहल्ला मिठ्ठूलाल कस्बा व थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर।

-प्रार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डी.जी.सी. क्रिमिनल, मुजफ्फरनगर।

-विपक्षी

30.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त विनय जैन उर्फ किक्की जैन की ओर से उसकी पैरोकार श्रीमती पूजा जैन पत्नी विनय जैन मय विद्वान अधिवक्ता एवं जामिनान किरण जैन पत्नी विनोद कुमार जैन और मुकेश कुमार पुत्र प्रेम सिंह उपस्थित हैं।

2. अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र 3क इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को निम्नलिखित अपराध संख्या में जमानत पर रिहा किया गया हैः-

क्रं.सं.	मुकदमा अपराध संख्या	थाना	धारा	न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेश
1.	433/2025	खतौली	308(5), 318(4), 351(2) बी.एन.एस.	दिनांकित 08.01.2026 मु0 1,00,000/-रूपये के दो जमानती न्यायालय सेशन न्यायाधीश मुजफ्फरनगर
2.	03/2026	खतौली	308(2), 351(2) बी.एन.एस.	दिनांकित 25.02.2026 मु0 1,00,000/-रूपये के दो जमानती न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, कोर्ट सं. 01 मुजफ्फरनगर
3.	449/2025	खतौली	308(5, 351(2)) बी.एन.एस.	दिनांकित 07.05.2026 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुक्रम में दिनांकित 16.05.2026

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.30 16:23:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

				मु0 1,00,000/-रूपये के दो जमानती न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर
4.	65/2016	खतौली	506 भा.दं.संहिता	दिनांकित 05.02.2026 मु0 25,000/-रूपये के दो जमानती न्यायालय सिविल जज(जू.डि.)/एफ.टी.सी., कोर्ट सं0-2 मुजफ्फरनगर

परंतु अभियुक्त अत्यंत गरीब और बीमार व्यक्ति है और उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। अभियुक्त दिनांक 03.12.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। जिस कारण उपरोक्त सभी आपराधिक मुकदमों में अलग अलग जमानती दाखिल करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। अतः अभियुक्त को विधि व्यवस्था हनी निशान उर्फ मौहम्मद इमरान बनाम उ.प्र. राज्य 2018 (एस) 8915/2018 के अनुक्रम में उपरोक्त चार मुकदमों में दो जामिनान किरण जैन पत्नी विनोद कुमार जैन निवासी मौ0 मिठ्ठूलाल कस्बा खतौली तहसील खतौली जिला मुजफ्फरनगर और मुकेश कुमार पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम बिरालसी थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर एवं व्यक्तिगत बंध पत्र पर जमानत पर रिहा किया जाने की अनुमति चाही गयी है।

समर्थन में शपथ पत्र श्रीमती पूजा जैन, आधार कार्ड की प्रति, विधि व्यवस्था हनी निशान उर्फ मौहम्मद इमरान बनाम उ.प्र. राज्य 2018 (एस) 8915/2018 एवं उपरोक्त वर्णित चार मामलों के जमानत आदेश की प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।

3. विद्वान डी.जी.सी. द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

4. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अभियुक्त विनय जैन उर्फ किक्की जैन की ओर से कुल चार मामलों जिनमें **मुकदमा अपराध संख्या 433/2025** थाना खतौली, **मुकदमा अपराध संख्या 03/2026** थाना खतौली, **मुकदमा अपराध संख्या 449/2025** थाना खतौली, एवं **मुकदमा अपराध संख्या 65/2016** थाना खतौली के मामलों में आठ जमानतदारों के स्थान पर दो जमानतदार एवं व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्यानुसार अभियुक्त को उपरोक्त वर्णित चार मामलों में कुल 6,50,000/- रूपये धनराशि के जमानतदार दाखिल करने हैं।

यह भी आख्या प्रस्तुत की गयी है कि अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानतदार किरण जैन की सत्यापन आख्या संबंधित तहसील पर दिनांक 27.05.2026 को भेजी गयी थी जो कि कार्यालय को दिनांक 03.06.2026 को प्राप्त हुई जिसमें यह आख्या प्राप्त हुई है कि जमानतदार किरण जैन की हैसियत 29,31,500/- रूपये है और जामिन पेशवर जमानती नहीं है एवं थाने पर सत्यापन आख्या दिनांक 27.05.2026 को भेजी गयी थी जो कार्यालय को दिनांक 03.06.2026 को प्राप्त हुई जिसमें यह आख्या प्राप्त हुई है कि जामीन श्रीमती किरण जैन पत्नी विनोद कुमार जैन निवासी मौहल्ला मिट्ठूलाल गली सुखलान थाना खतौली मुजफ्फरनगर उक्त की निवासी है। जामीन उपरोक्त पेशेवर नहीं है। ग्राम प्रधान/सभासद की तहरीर संलग्नक है।

इसी प्रकार अभियुक्त के दूसरे जमानतदार मुकेश कुमार पुत्र प्रेम सिंह की सत्यापन आख्या संबंधित तहसील पर दिनांक 25.06.2026 को भेजी गयी थी जो कि कार्यालय को दिनांक 29.06.2026 को प्राप्त हुई जिसमें यह आख्या प्राप्त हुई है कि जमानतदार की हैसियत 7,81,000/- रूपये है, जमानती पेशेवर नहीं है एवं थाने पर सत्यापन आख्या दिनांक 25.06.2026 को भेजी गयी थी जो कार्यालय को दिनांक 29.06.2026 को प्राप्त हुई जिसमें यह आख्या प्राप्त हुई है कि जामीन मुकेश कुमार पुत्र प्रेम सिंह ग्राम बिरालसी थाना चरथावल मुजफ्फरनगर का नाम पता तस्दीक किया गया तो नाम पता सही है। जामीन उपरोक्त पेशेवर नहीं है। ग्राम प्रधान/सभासद की तहरीर संलग्नक है।

इसके अलावा अभियुक्त विनय जैन उर्फ किक्की जैन के संबंध में संबंधित थाना को दिनांक 27.05.2026 को सत्यापन आख्या भेजी गयी थी जो कि कार्यालय को दिनांक 03.06.2026 को प्राप्त हुई जिसमें यह आख्या प्राप्त हुई है कि अभियुक्त मौहल्ला मिट्ठूलाल थाना खतौली मुजफ्फरनगर का निवासी है और उसका उपरोक्त पता सही है तथा अभियुक्त के संबंध में संबंधित तहसील को दिनांक 27.05.2026 को सत्यापन आख्या भेजी गयी थी जो कार्यालय को दिनांक 04.06.2026 को प्राप्त हुई जिसमें यह आख्या प्राप्त हुई है कि अभियुक्त विनय जैन उर्फ किक्की पुत्र विनोद कुमार जैन के राजस्व अभिलेखों के अनुसार कोई चल अचल संपत्ति नहीं पायी गयी है। अभियुक्त दादलाही मकान में रहता है जो कि अभियुक्त के नाम दर्ज नहीं है।

इसके अलावा अभियुक्त की पैरोकार श्रीमती पूजा जैन के संबंध में संबंधित थाना को दिनांक 27.05.2026 को सत्यापन आख्या भेजी गयी थी जो कार्यालय को दिनांक

03.06.2026 को प्राप्त हुई जिसमें यह आख्या प्राप्त हुई है कि पैरोकार मौहल्ला मिट्ठूलाल थाना खतौली मुजफ्फरनगर की निवासी है और उसका उपरोक्त पता सही है तथा पैरोकार के संबंध में संबंधित तहसील को दिनांक 27.05.2026 को सत्यापन आख्या भेजी गयी थी जो कार्यालय को दिनांक 04.06.2026 को प्राप्त हुई जिसमें यह आख्या प्राप्त हुई है कि पैरोकार पूजा जैन पत्नी विनय जैन उर्फ किक्की के राजस्व अभिलेखों के अनुसार कोई चल अचल संपत्ति नहीं पायी गयी है। पैरोकार अपने पति के साथ दादलाही मकान में रहती है जो कि पैरोकार के नाम दर्ज नहीं है।

अतः चूंकि अभियुक्त अत्यंत गरीब और बीमार होना बताया गया है और उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होनी बतायी है। साथ ही अभियुक्त को दिनांक 03.12.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध होना बताया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्त विनय जैन उर्फ किक्की जैन की ओर से प्रस्तुत जमानतदारों एवं स्वयं अभियुक्त के संबंध में संबंधित तहसील और थाने से प्राप्त सत्यापन आख्या के आधार पर एवं कार्यालय लिपिक की आख्या के आधार पर उपरोक्त वर्णित चार मुकदमों में निर्णित वाद हनि निशाद उर्फ मौहम्मद इमरान उर्फ विक्की बनाम उ.प्र.राज्य पेटिशन(एस) 8914/2018 सुप्रीम कोर्ट में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुपालन प्रस्तुत दो जामिनान जिनके नाम किरण जैन पत्नी विनोद कुमार जैन निवासी मौ0 मिट्ठूलाल कस्बा खतौली तहसील खतौली जिला मुजफ्फरनगर और मुकेश कुमार पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम बिरालसी थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर हैं के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अभियुक्त का रिहाई परवाना जिला कारागार भेजा जावे।

यह दाण्डिक प्रकीर्ण वाद तदनुसार निस्तारित किया जाता है। दाण्डिक प्रकीर्ण वाद की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

इस आदेश की प्रति अभियुक्त के पैरोकार को संबंधित न्यायालयों में दाखिल करने हेतु प्रदान की जाए।

सेशन न्यायाधीश,

दिनांक–30.06.2026 मुजफ्फरनगर।